न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

(75)

आज दि. 24/5/17
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

P 1137-PBR/17

श्रीमति शशि दुबे आयु करीब 60 वर्ष
पत्नि श्री राममोहन निवासी–शनिचरा मोहल्ला
होशंगाबाद तहसील व जिला होशंगाबाद———————————————याचिकाकर्ता

बनाम

श्री जगराम हरिजन
वल्द मुन्नू हरिजन
निवासी–ग्राम पलासडोह
तहसील व जिला होशंगाबाद———————————————————उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. :–

याचिकाकर्ता यह पुनरीक्षण याचिका न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय होशंगाबाद द्वारा राजस्व प्रकरण क्र. 15 अ/6 वर्ष 2013–14 जिसके पक्षकार माया मेहरा बनाम शशि दुबे है, में पारित आदेश दिनांक 03/02/17 से क्षुब्ध एवं व्यथित होकर निम्न आधारों पर प्रस्तुत करता है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1137–पीबीआर/2017 **जिला होशंगाबाद**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13.4.2017	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसीलदार होशंगाबाद के द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–2–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा प्रकरण में पक्षकारों का कुसंयोजन किया गया है, एवं प्रकरण में स्वत्व का प्रश्न निहित है, इसलिये तहसील न्यायालय ने आवेदक के द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता, 1908 के आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य किया गया है । अतः तहसील न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही न्यायिक दृष्टि से उचित है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	